16/6/25

पत्रा० पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। मूल वाद में P.D जारी की जा चुकी है। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने का निवेदन किया बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा 53 का है। एवं एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।। एवं वादी अधिवक्ता ने P.D जारी बाबत सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने बाबत पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पाबंद किया जाता है। एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।